

क्रमांक / विद्या / योग / 104 / 10 / १०४
प्रति,

भोपाल, दिनांक १४/१०

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- त्रैमासिक योग प्रशिक्षण सत्र क्र. 104 के आयोजन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- आपकी ओर प्रेषित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल द्वारा प्रकाशित वार्षिक
योग पंचांग सत्र 2010-11 क्र./म.प.सं.सं./सामान्य/2010/897/भोपाल,दिनांक
19.04.2010

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल ने सन्दर्भित पत्र द्वारा 18.05.10 से 15.08.10 की अवधि में आयोजित त्रैमासिक योग प्रशिक्षण हेतु शिक्षक कार्यमुक्त करने बाबत आपको निर्देश प्रदान किया था, मात्र भोपाल, रायसेन, विदिशा, उज्जैन, इन्दौर एवं सतना से ही शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित हुए, खेद का विषय है कि शेष जिलों से शिक्षक प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किए गए। वार्षिक योग पंचांग अनुसार आगामी त्रैमासिक योग प्रशिक्षण सत्र क्र. 104 दिनांक 18 अगस्त 2010 से 15 नवम्बर 2010 के मध्य शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0 भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें आपके जिले से एक महिला अथवा पुरुष पात्र शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।

त्रैमासिक योग प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किये जाने वाले शिक्षकों का चयन करते समय विशेष ध्यान रखें कि ये व्यक्ति निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड रखने के साथ-साथ योग में रुचि रखते हों एवं उनकी आयु सामान्यतः 45 वर्ष से अधिक न हो। अपेक्षित संख्या में पात्र व्याख्याता/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/व्या.शि./सहायक शिक्षक/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहा. अध्यापक सम्मिलित हों। संविदा शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जाये अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने पर वे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को इस प्रकार कार्यमुक्त करें कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि को अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण स्थल पर दे सकें। प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को शासकीय नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त प्रशिक्षण स्थल पर प्रदान किया जायेगा।

शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0, भोपाल हेतु कार्यमुक्त किये जाने वाले शिक्षकों को निम्नलिखित जानकारी आवश्यक रूप से देने का कष्ट करें।

1. प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान योग प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास में रहने की व्यवस्था है।
2. गणवेश- प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले शिक्षक को निम्नानुसार गणवेश साथ लाना है-
(अ)- पुरुषों को हाफपेन्ट, सेण्डो बनियान या ट्रेकसूट।
(ब)- महिलाओं को सलवार कमीज या ट्रेकसूट।